



8- FMP

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीलालजी,


आवेदक द्वारा अपना नाम श्रीलाल के नाम पर भुग्ना चादाया गया है अंजमे आन केम्य तपल महाराजपुर दि. 21/6/17 में जानकारी की गई तो पर लोगों ने बताया कि गांव में श्रीलाल को भुग्ना भी अदर है जहां पर 8; 14, 52, 87 मोपल पचेडी में श्रीलाल उद्दावू देवी के नाम भुग्ना उद्दावू देवी करे को सिपावेस में जाकि एक आवेदक को भुग्ना उद्दावू की साथ जेह मलान की गई है


21/6/17


प्र. अदालत 21/6/17


राजस्व लोक अदालत - 2017
रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी / उपखण्ड अधिकारी के अदर में
कोरेडाड श्रीलाल के अदर पर भुग्ना उद्दावू देवी नाम
उद्दावू देवी


तहसीलदार (भू.अ.नि.)
तहसील सपोटरा (करौली)

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, उपखण्ड एवं तहसीलदार (न्याय) तथा प्र उद्दावू देवी के अदर पर उपखण्ड प्राप्ति लीका (बिक्रि जात है) में प्रकृत जाती है। पटवारी के लल भुग्ना (ले का नकल ले का है)


पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महायजपुरा व भूअ.नि. करणपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोर / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चन्चेडी तहसील सपोर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 14,8,52,87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चन्चेडी	14,8,52,87	रामजीलाल, अलियाल, रामबिस्माल, रामकुमार, हेमराज, हेमराज फिं हाकू	रामजीलाल, रामबिस्माल, मुन्ना, रामकुमार, हेमराज फिं हाकू

Di Y
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत के अध्यक्ष आपके द्वार
सपोर, जिला करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 26/11

क्रमांक:- रा.पी.अ/2017/86-88
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मुन्ना हाकू व राम फिं चन्चेडी को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। (महायजपुरा)

Di
(पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत के अध्यक्ष आपके द्वार
सपोर, जिला करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,